उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
गुरुकुल कांगडी, हरिद्वार।

पत्रांकः– 935/व्यवस्था–ई0 निविदा–सफाई व्यवस्था कार्य/2019–20, दिनांकः– 16 मई, 2019

ई0 निविदा सूचना

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये कार्यालय परिसर/परीक्षा भवन एवं आवासीय कॉलोनी परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु इच्छुक फर्मो/एजेन्सी से ई0– निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्तें एवं निर्धारित प्रपत्र आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in एवं www.uktenders.gov.in पर उपलब्ध है।

सचिव
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
गुरुकुल कांगडी, हरिद्वार।

पत्रांक :– 935/व्यवस्था–ई0 निविदा–सफाई व्यवस्था कार्य/2019–20, दिनांक :– 16 मई, 2019

ई0 निविदा सूचना

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में कार्यालय परिसर/परीक्षा भवन परिसर एवं आवासीय कॉलोनी की सफाई व्यवस्था हेतु कॉन्ट्रेक्ट लेबर एक्ट 1970 अथवा केन्द्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभाग में सेवा कर के अन्तर्गत पंजीकृत एजेन्सी/फर्मों से द्वि ई0–निविदा प्रणाली e-tendering (Two Bid System Technical/Financial) द्वारा e-tendering Portal www.uktenders.gov.in पर निम्न कार्यक्रमानुसार आमंत्रित की जाती हैं।

1.	कार्य का नाम	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में कार्यालय परिसर/परीक्षा भवन परिसर एवं आवासीय कॉलोनी की सफाई व्यवस्था
2.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु. 1,500.00 + 270.00 (GST 18 %)= रु. 1,770.00 (रु. एक हजार सात सौ सत्तर)
3.	निविदा **http://www.uktenders.gov.in)** पर ऑनलाईन उपलब्ध होने की तिथि	24/05/2019 को 12:00 बजे
4.	निविदा प्रपत्र **(http://www.uktenders.gov.in)** से डाउनलोड किये जाने की तिथि	24/05/2019 से 10/06/2019 सांय 06:00 बजे तक
5.	तकनीकी एवं वित्तीय बिड को **Online Upload** किये जाने की तिथि	24/05/2019 से 10/06/2019 सांय 06:00 बजे तक
6.	तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि	(b) तकनीकी बिड 11/06/2019 को 12:00 बजे (b) वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि, तकनीकी बिड की जांच के बाद समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

E-tendering Portal www.uktenders.gov.in पर E-Bid भरने के पश्चात, E-tendering Portal पर अपलोड किये गये Document के मूल पत्र भौतिक रूप से डाक/कार्यालय काउन्टर पर दिनाँक **11 जून, 2019** की अपराह्न 12:00 बजे तक Sealead Envelope में बंद कर , लिफाफे के बाहर तकनीकी निविदा लिख कर आयोग कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा। निविदा के साथ निविदा प्रपत्र का मूल्य का बैंक ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि की एफ.डी.आर. मूल रूप में संलग्न किया जाना आवश्यक है। इच्छुक निविदादाता निविदा खोलने के समय उक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित रह सकते हैं।

इस हेतु निविदा की शर्तें, निविदा प्रपत्र आदि आयोग की वेब साइट www.ukpsc.gov.in एवं www.uktenders.gov.in में देखे जा सकते हैं/डाउनलोड किए जा सकते हैं।

ई0 निविदा की शर्तें :–

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 1,500.00 + 270.00 (GST 18 %) = रु. 1,770.00 (रु. एक हजार सात सौ सत्तर) निर्धारित है, जिसका बैंक ड्राफ्ट सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पक्ष में होगा, जिसकी Scan Copy, www.uktenders.gov.in पर ऑनलाईन निविदा भरते समय अपलोड करना होगा एवं मूल प्रति निविदा के प्रपत्रों के साथ संलग्न कर भौतिक रूप में आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करना होगा। निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदा प्रपत्र की धनराशि Non-refundable होगी।
2. निविदा फॉर्म के साथ रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। धरोहर राशि एफ0डी0आर0 के सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पक्ष में बन्धक (pledged) होनी चाहिए। धरोहर राशि (EMD) हेतु बनायी गयी एफ0डी0आर0 की Scan Copy, www.uktenders.gov.in पर ऑनलाईन निविदा भरते समय अपलोड करना होगा एवं मूल प्रति निविदा के प्रपत्रों के साथ संलग्न कर भौतिक रूप में आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करना होगा।
3. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति प्रोक्योरमेन्ट रूल नियमावली 2017 के पैरा नियम–13 (2) के अन्तर्गत दो निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदायें दो भागों में आमंत्रित की जा रही हैं।
   क– तकनीकी ई0 निविदाः– तकनीकी ई0 निविदा में व्यापारिक शर्तों और निबन्धनों के साथ समस्त तकनीकी विवरण हों।
   ख– वित्तीय ई0 निविदाः– वित्तीय ई0 निविदा में तकनीकी निविदा में उल्लेखित मदों के लिए मदवार मूल्य का उल्लेख होगा।
4. केवल उन्हीं निविदा दाताओं का वित्तीय निविदा खोली जाएगी, जिन्होंने तकनीकी निविदा में सफलता प्राप्त की है तथा तकनीकी निविदा में सफल न होने पर संबंधित फर्म की वित्तीय निविदायें नहीं खोली जायेंगी।
5. जिस फर्म/एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसकी कार्यपूर्ति प्रतिभूति धरोहर राशि के रूप में जमा करायी जायेगी। अन्य की धरोहर राशि उनके निविदा स्वीकृत न होने की दशा में वापस कर दी जायेगी।
6. सशर्त निविदा किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी।
7. निविदादाता यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके द्वारा कर्मियों को श्रम विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित स्वीकृत न्यूनतम देय धनराशि से कम भुगतान नहीं किया जाएगा। न्यूनतम देय से कम मजदूरी देने पर सम्बन्धित फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा एवं उनकी अर्नेस्टमनी को आयोग द्वारा जब्त कर दिया जाएगा।
8. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार का होगा।
9. भुगतान की दशा में नियमानुसार देय आयकर तथा अन्य कर की कटौती की जायेगी।
10. जिस पंजीकृत एजेन्सी/फर्म की निविदा स्वीकृत होगी, उनके द्वारा कार्य आदेश के तुरन्त 24 घण्टे के अन्दर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। ऐसा न करने की स्थिति में, जमानत धनराशि जब्त करते हुये, सम्बन्धित पंजीकृत एजेन्सी/फर्म को ब्लैक लिस्टेड भी घोषित किया जा सकता है, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित पंजीकृत एजेन्सी/फर्म का होगा।
11. तैनात कर्मियों द्वारा आयोग परिसर में धुमपान/मादक द्रव्यों का सेवन करना वर्जित होगा।
12. स्वीकृत पंजीकृत एजेन्सी/फर्म द्वारा जो भी कर्मी आयोग में तैनात किये जायें, वे मानसिक एवं शारीरिक तौर पर स्वस्थ हों एवं 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु के न हों तथा उपरोक्त कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से चुस्त–दुरूस्त हों और उनका पूर्ववृत्त अच्छा हो। अनुभवी कार्मिकों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा एवं प्रत्येक कर्मी को आठ घण्टे ड्यूटी करना अनिवार्य होगा।

13. तैनात किये गये कर्मियों से सुचारू रूप से कार्य कराने हेतु ठेकेदार द्वारा अपने पर्यवेक्षक/ सुपरवाईजर की तैनाती की जानी अनिवार्य होगी, जो सम्बन्धित कर्मियों से ड्यूटी लिस्ट के अनुसार कार्य करा सकें तथा उनके कार्यों का सत्यापन कर देय बिल के साथ अपनी रिपोर्ट संलग्न कर सके ताकि बिलों के भुगतान में किसी भी प्रकार की शंका की गुंजाइश न रह सके। तैनात किये गये पर्यवेक्षक को स्वीकृत ठेकेदार द्वारा अपने स्तर से भुगतान किया जायेगा। आयोग से इस सम्बन्ध में कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।

14. आयोग में स्वीकृत ठेकेदार द्वारा माह में कर्मियों की तैनाती की जानी आवश्यक होगी एवं आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में भी कार्य करना होगा। यदि किसी भी कर्मी को अवकाश की आवश्यकता होगी, तो स्वीकृत ठेकेदार द्वारा नियमानुसार उसका अवकाश अपने स्तर पर स्वीकृत किया जायेगा तथा उसके स्थान पर अन्य कर्मी की तैनाती अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व की जानी आवश्यक होगी ताकि आयोग के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो सके।

15. आयोग में स्थित कार्यालय एवं आवासीय कॉलोनी की सफाई व्यवस्था हेतु निम्नलिखित कार्य किये जाने हैं–

    क. सफाई का कार्य प्रतिदिन सुबह 7:30 से 9:30 एवं सायं 4:00 से 6:00 बजे तक सम्पन्न करना होगा। कार्यालय में न्यूनतम दो व्यक्ति स्थायी रूप से उपस्थित रहकर, जो शौचालय सामूहिक रूप से इस्तेमाल होते हैं, नियमित अन्तराल पर सफाई करेंगे तथा अन्य स्थानों पर यथावश्यक सफाई करेंगे।

    ख. समस्त कमरों, बरामदों व पूरे परिसर में झाड़ू लगाना। समस्त कमरों, कम्प्यूटर कक्षों एवं बरामदों के फर्श पर प्रतिदिन फिनाईल या अन्य उपयुक्त लिक्विड से पोछा लगाना।

    ग. दीवारों, खिड़की, रोशनदानों में लगे मकड़ी के जाले हटाना तथा साफ–सफाई करना।

    घ. बाथरूम, टॉयलट आदि की फिनाईल/तेजाब या अन्य उपयुक्त लिक्विड से प्रतिदिन धुलाई/सफाई कराना। टॉयलेट की नालियां/सीटों के चोक हो जाने की दशा में उनकी सफाई करना।

    ड़. सप्ताह में एक दिन कमरों/बरामदों की वाशिंग पाउडर से धुलाई करना।

    च. आयोग कार्यालय एवं आवासीय परिसर के सेप्टी टैंक एवं सौक्टा टैंकों को खाली करना एवं सफाई करना।

16. कार्यालय परिसर/परीक्षा भवन परिसर/आवासीय परिसर में एकत्रित कूड़े एवं टॉलेट के सेप्टी टैंकों का खाली करना/निस्तारण फर्म/ठेकेदार को स्वयं करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई धनराशि देय नहीं होगी।

17. झाड़ू, टोकरी, पंजा, ट्राली, बाल्टी, ब्रुश, सफाई हेतु टेबल साफ करने वाला कपड़ा व पौछा आदि की आपूर्ति, फर्म/ठेकेदार द्वारा की जायेगी।

18. निर्धारित कार्य अवधि में कार्मिकों की कार्यस्थल पर भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।

19. कार्य में लापरवाही या उदासीनता बरतने वाले कार्मिकों को किसी भी दशा में स्वीकृत ठेकेदार द्वारा तैनाती नहीं दी जाएगी तथा उसे तुरन्त कार्य से हटाना होगा।

20. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। भुगतान मासिक आधार पर ही माह पूर्ण होने पर फर्म/ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

21. शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करना बाध्यकारी होगा।

22. फर्म/ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह कार्य करने वाले कार्मिकों का भुगतान माह समाप्त होने के सात दिन के भीतर करना सुनिश्चित करेगा। मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

23. स्वीकृत पंजीकृत एजेन्सी/फर्म को तैनात किये गये कर्मियों को दी जाने वाली विधिक सुविधायें नियमानुसार प्रदान करनी होंगी तथा विधिक देयकों का भुगतान समय पर सम्बन्धित विभाग/संस्था को किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म/ठेकादार का होगा।